अध्याय – 19
स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान

19.1 द्वितीय राज्य वित्त आयोग के निर्देश पदों में एक पद राज्य सरकार के समेकित कोष से स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के सम्बन्ध में अनुशंसा करना भी है। इस रिपोर्ट के भाग II और भाग III में हमनें कतिपय विशेष प्रयोजनों के लिये स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान दिये जाने की अनुशंसा की है। इस अध्याय में किसी अतिरिक्त सहायता अनुदान की अनुशंसा नहीं की जा रही है, अपितु पिछले अध्यायों में की गई एतत् विषयक अनुशंसाओं का सारांश प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान

19.2 (1) ग्राम पंचायतों को अपने आन्तरिक स्त्रोतों के बेहतर दोहन के निमित्त प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हमनें अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की है कि यदि कोई ग्राम पंचायत किसी वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में अपना 10 प्रतिशत अधिक कर वसूल करती है तो उसको राज्य सरकार द्वारा अधिक वसूली के समतुल्य राशि प्रोत्साहन अनुदान के रूप में दी जाये। हमने आगे यह भी सुझाव दिया है कि यह प्रोत्साहन आयोग के अधिनिर्णय अवधि के दौरान जारी रहे।

(2) सम्पत्ति कर सभी ग्राम पंचायतों के लिये राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इसलिये कंडिका 7.4 (7) में हमने यह सुझाव दिया है कि जो ग्राम पंचायत किसी वर्ष में वार्षिक मांग के न्यूनतम 70 % या इससे अधिक अथवा पिछले वर्षो के बकाये में से न्यूनतम 75 % या इससे अधिक की वसूली करती है तो उसे राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अनुदान दिया जाये।

(3) अनुसूची पांच के अन्तर्गत आने वाली 4607 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत को अगले चार वर्षो (2013–17) तक प्रतिवर्ष रू. दो लाख का अनुदान ग्रामीण अधोसरंचना विकास के लिये दिया जाये क्योंकि इन ग्रामों में इनका अत्यन्त अभाव है। इस तरह इन ग्राम पंचायतों को कुल मिलाकर प्रति वर्ष रु. 92.14 करोड़ और चार वर्षो में रु. 368.56 करोड़ का सहायता अनुदान दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

शहरी निकायों को सहायता अनुदान

19.3 राज्य में नगरीय प्रशासन और विकास संस्थान की स्थापना के लिये रु. 50 करोड़ का एक बार सहायता अनुदान दिये जाने की अनुशंसा की गई है। इस संस्थान का गठन नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के क्षमता संवर्धन के लिये प्रस्तावित है। यह संस्थान नगरीय प्रशासन के विभिन्न आयामों के अध्ययन–अध्यापन के लिये राज्य के बाहर उपलब्ध विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है। यह अनुदान का आबंटन राज्य सरकार द्वारा दो वर्षो में किया जा सकता है।

19.4 राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को स्वच्छता के लिये रु. 200 करोड़ का सहायता अनुदान दिया जाये। राज्य में स्वच्छता और साफ–सफाई की स्थिति बहुत खराब है। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में साफ–सफाई के लिये सरकार स्वयं पहल करके अभियान प्रारम्भ करें। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग शहरों की स्वच्छता के लिये अनुशंसित राशि के उपयोग के लिये स्वयं ही योजना बनाये तथा इनके अन्तर्गत सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक मूत्रालय का निर्माण कराये तथा शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले निःशक्त जनों को स्वच्छ शौचालय बनवाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करें।

◆◆◆